

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234174
SG-DL-E-14032022-234174असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 524
No. 158]	DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943	[N. C. T. D. No. 524

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2022

फा. सं. जीए/1092/3/प्रशासन/2015/1117-1128.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अमरेन्द्र कुमार को श्री ए. के. गुप्ता के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (15) के अन्तर्गत गैर सरकारी विशेषज्ञ के रूप में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का सदस्य नामांकित करते हैं तथा सरकार की सहमति तक अपने पद पर बने रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.वी. प्रेमनाथ, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th March, 2022

F. No. GA/1092/3/Admn./2015/1117-1128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Amarendra Kumar as Expert (non-official) in place of Shri A.K. Gupta under Clause (xv) of sub-section (4) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 and shall hold the office at the pleasure of the Government.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.V. PREM NATH, Jt. Secy.